

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ़
 पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.
 मु.नं. 88 सन 2019

नाम व तारीख
 अहकाम जो इस
 हकम की तामील
 में जारी हुए

हकम की कार्यवाही मय इतिहास जल

उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ़
 11/09/19

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को मैं द्वारा लिखाया जाकर खूले न्यायालय में
 भूमिगत होकर हस्त लाना दखिल दफतर हो।
 निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजाई जाये। पत्रावली निर्णय
 सुनाया गया।

क्र. सं.	शाम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है)
1	मारसर	344/343	सोहनराम पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मारसर	सोहनराम पुत्र नोनाराम जाति जाट निवासी मारसर

किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद के आदेश दिवे जाते हैं:-
 खाला खूला 344 पुराना खाला संख्या 343 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध
 मारसर तहसील सुजानगढ़ जिला रूक की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में नया
 धारा 88 व राजस्थान सू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसूचना में ग्राम
 तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुसूचा के आधार पर राजस्थान कारतकारी अधिनियम की
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। बादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजगत तथा
 नोनाराम जाति जाट निवासी मारसर तहसील सुजानगढ़ है, जो शुद्ध किया जाना उचित
 संलग्न दस्तावेज आधार काई परिय पत्र के अनुसार बादी का सही नाम सोहनराम पुत्र
 बादी का नाम सोहनराम पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मारसर दर्ज है। जो गलत है।
 सुजानगढ़ में रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में
 वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार
 सुजानगढ़ है। बादी का नाम सोहनराम पुत्र नोनाराम किया जाने के आदेश फरमावे।
 अनुसूचा प्रार्थी का नाम सोहनराम पुत्र नोनाराम जाति जाट निवासी मारसर तहसील
 दर्ज है। जो गलत है। बादी का नाम आधार काई परिय पत्र व अन्य दस्तावेजों के
 राजस्व रिकॉर्ड में सोहनराम पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मारसर तहसील सुजानगढ़
 2076-2079 में नया खाला संख्या 344 पुराना खाला संख्या 343 में बादी का नाम
 प्रकरण में सक्षिपत तथा इस प्रकार से है कि ग्राम मारसर की जमाबन्दी संवत्
 हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।
 तहसील सुजानगढ़ जिला रूक ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुक्ति
 1956 की धारा 136 के तहत बादी सोहनराम पुत्र नोनाराम जाति जाट निवासी मारसर
 यह वाद पत्र राजस्थान कारतकारी अधिनियम की धारा 88 व सू राजस्व अधिनियम

11.09.2019

हकम
 तारीख